हरिप्रकाश बनाम सरकार
GCMS No- 2022/505
प्रकरण संख्या 158 / 2023

…यालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 158 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 505

1. हरिप्रकाश पिता दल्लीचन्द जाति– बैरवा, आयु– 33 वर्ष, निवासी इशकाबाद, तहसील– निम्बाहेडा जिला– चित्तौड़गढ़ राज.।
2. रोहित पिता दल्लीचन्द, जाति– बैरवा, आयु– 26 वर्ष, निवासी इशकाबाद, तहसील– निम्बाहेडा जिला– चित्तौड़गढ़ राज.।
3. मीरा पुत्री दल्लीचन्द, जाति– बैरवा, आयु 39 वर्ष, निवासी इशकाबाद, तहसील– निम्बाहेडा जिला– चित्तौड़गढ़ राज.।
4. संतोष पुत्री दल्लीचन्द जाति बैरवा आयु 34 वर्ष, निवासी– इशकाबाद, तहसील– निम्बाहेडा जिला– चित्तौडगढ़ राज.।
5. पुष्पा पुत्री दल्लीचन्द, जाति– बैरवा, आयु– 30 वर्ष, निवासी– इशकाबाद, तहसील– निम्बाहेडा जिला– चित्तौडगढ़ राज.।
6. मोहिनी पुत्री श्री दल्लीचन्द जाति बैरवा, आयु 27 वर्ष, निवासी इशकाबाद तहसील– निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज.।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा

.......विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थित :– 1– प्रार्थी स्वयं

:: निर्णय :: दिनांक 05.10.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण कि राजस्व ग्राम अहीरपुरा, हल्का बडोलीघाटा, तहसील– निम्बाहेड़ा. में खाता सं. 43 (पुराना नं. 38) मे दर्ज प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी नम्बर 47 रकबा 0.63 एवं आराजी नम्बर 56 रकबा 1.11 हैक्टेयर कुलिया 1.74 हैक्टेयर स्थित हैं।
2. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात उक्त आराजी सं 47 [illegible] नम्बर 239 / 31 होकर मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी की सत्य प्रतिलि[illegible] उक्त आराजी सं 47 का रकबा पुराने रिकार्ड के अनु[illegible] मौके पर भी माफिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण काबिज है परंतु रा[illegible] कर्मचारियों की भूलवश वर्तमान एवं कम्प्युटराईज्ड नक्शा [illegible] एवं मौके पर काबिज[illegible] के अनुसार दर्ज नही किये गये, उक्त आराजी [illegible] 47 का रकबा पूर्वी त[illegible] कम करके दक्षिणी दिशा में बढा दिया जबकि पुरानी नक्शा ट्रेस में दक्षिणी तरफ के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

सरवेले मे उक्त आराजी नही होकर अन्य आराजी स्थित हैं तथा प्रार्थी की पूर्वी दिशा की आराजी का रकबा कम करके अन्य आराजी का रकबा प्रार्थीगण की आराजी मे बढ़ा दी जो कत्तई न्यायपूर्ण नहीं होकर रकबे की कमी बेशी के विवाद होने की स्थिति पैदा हो गयी है।

3. प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीगणों ने राजस्व गांव अहीरपुरा, हल्का बड़ोलीघाटा, तहसील– निम्बाहेड़ा मे खाता सं. 43 (पुराना नं. 38) मे दर्ज प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी सं. 47 रकबा 0.63 हैक्टेयर की वर्तमान एवं कम्प्युटराईज्ड त्रुटिपूर्ण नक्शा ट्रेस में सुधार कर वास्तविक पुरानी नक्शा ट्रेस के अनुसार इंद्राज दुरूस्ती का आदेश प्रदान करवाने का निवेदन किया गया।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को मात्र दोहराते हुए ग्राम अहीरपुरा की आराजी नम्बर 47 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान नक्शा तरमीम साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्रांक : राजस्व/2023/1619 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया कि ग्राम अहीरपुरा पटवार हल्का बडौलीघाटा तहसील निम्बाहेडा की जमाबन्दी संवत 2077–80 की खाता संख्या 43 में दर्ज आराजी नं. 47 रकबा 0.63 है0 एवं आराजी संख्या 56 रकबा 1.11 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में बेरूए रिकार्ड पुष्पा पुत्री दलीचन्द 1/6, रोहित पुत्र दलीचन्द 1/6, मोहिनी पुत्री दलीचन्द 1/6, रोहित पुत्र दलीचन्द 1/6, सन्तोष पुत्री दलीचन्द 1/6, हरिप्रकाश पुत्र दलीचन्द 1/6 जाति बैरवा सा0 निम्बाहेडा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान आराजी संख्या 47 रकबा 0.63 है0 गत साबिक आराजी संख्या 239/31 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से तथा वर्तमान आराजी संख्या 56 रकबा 1.11 है0 गत साबिक आराजी संख्या 203/31 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा से बनना मिलान क्षैत्रफल से जांच में पाया गया। गत साबिक आराजी संख्या 239/31 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 203/31 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा किता 02 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2060–63 की खाता संख्या 32 पर श्री दलीचन्द पिता खेमराज बैरवा सा0 निम्बाहेडा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थी वादीगण द्वारा वाद कथन के बिन्दु संख्या 2 में ग्राम अहीरपुरा की वर्तमान आराजी संख्या 47 को (जो साबिक आराजी संख्या 239/31 से बना है) नवीन भू–प्रबन्ध नक्शे में माफिक पुराने एवं मौके पर काबिज स्थिति अनुसार दर्ज नही किये जाकर त्रुटि पूर्ण अंकन किया गया है। उक्त कथन की जांच हेतु गत साबिक नक्शा प्रति से वर्तमान नक्शा प्रति का मिलान करने से गत साबिक आराजी संख्या 239/31 की तरमीम एवं नवीन भू–प्रबन्ध नक्शा की आराजी संख्या 47 का मिलान पूरी तरह से सही पाया गया। मौके पर प्रार्थी वादीगणों [illegible] दर्ज अनुसार नही होकर आराजी संख्या 47 व 46 में पूर्व–पश्चिम [illegible] होना वक्त मौका निरीक्षण पाया गया। प्रार्थी की आराजी [illegible] 47 (गत साबिक आराजी संख्या 239/31) का गत के मुकाबले मिलान सही [illegible] संख्या 56 रकबा 1.11 हैक्टेयर, जो गत साबिक [illegible] रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा से बने है, का मिलान त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत हुआ। वर्तमान आराजी संख्या 56 की दक्षिणी ओर आराजी संख्या 48 को तरमीम दर्शाई गई है। जबकि गत नक्शा में तरमीम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

आराजी संख्या 47 व 56 की दक्षिणी मेड एक ही सीध में दर्शाई गई है। वर्तमान आराजी संख्या 56 की स्थिति की नक्शा मिलान से यह पाया गया कि वर्तमान नक्शे में आराजी संख्या 40, 41, 42, 43, 44, 45 व 48 को त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया है। मिलान क्षैत्रफल एवं गत नामान्तरकरण संख्या 234 पर चस्पा तरमीम ट्रेस अनुसार गत के मुकाबले नवीन स्थिति निम्न बनी है:–

क्र.सं.	गत साबिक नम्बर		नवीन आराजी नम्बर
	मूल नम्बर	बटा नम्बर	
1.	209/31	209/31	40
		265/209/31	42
		266/209/31	44
		267/209/31	45
		268/209/31	48
		269/209/31	41
2.	249/208/31 रकबा 1 बीघा	249/208/31 रकबा 15 बिस्वा	55
		261/249/208/31 रकबा 5 बिस्वा	43

वर्तमान आराजी संख्या 40, 41, 42, 44, 45, 48 को गत के मुकाबले पूर्व–पश्चिम लम्बाई कम दर्शाया जाकर चौडाई में अधिक तरमीम दर्शाई जाकर रकबा बराबर दर्शाया गया है। जबकि उक्त आराजी किता 6 की कुल चौडाई 10 मीटर कम की जाकर लम्बाई 30 मीटर बढाकर दर्शाना चाहिए था। वर्तमान आराजी संख्या 43 को, जो गत साबिक आराजी संख्या 249/208/31 रकबा 1 बीघा से नामान्तरकरण संख्या 226 से टुकडा होकर आराजी संख्या 261/249/208/31 रकबा 5 बिस्वा अंकन हुआ, से बनाया गया है। ऐसी स्थिति में आराजी संख्या 43, आराजी संख्या 55 के साथ तरमीम होना चाहिए था। वर्तमान में आराजी संख्या 55 रकबा 0.18 है0 व आराजी संख्या 43 रकबा 0.06 है0 कुल रकबा 0.24 है0 रकबा दर्ज है तथा वर्तमान नक्शे में आराजी संख्या 55 की रकबा बरारी करने से रकबा 0.24 है0 बनता है। साथ ही गत नक्शा प्रति के नक्शे में पेन्शीली तरमीम आराजी संख्या 249/208/31 व 261/249/208/31 को एक ही साथ दर्शा रखी है। प्रार्थी की वर्तमान आराजी संख्या 56 की नक्शा तरमीम संशोधन की स्थिति में आराजी संख्या 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48 स्थिति प्रभावित होकर निम्नानुसार शुद्धि उचित है:–

i. आराजी संख्या 56 के दक्षिण में स्थित आराजी संख्या 48 को विलोपित कर आराजी संख्या 56 की दक्षिणी मेड आराजी संख्या 47 के बराबर की जाकर दर्शाना सही होगा।

ii. आराजी संख्या 40, 41, 42, 43, 44, 45 व 48 को निम्नानुसार नक्शे में अंकन होना चाहिए:–

दर्ज आराजी संख्या नक्शे में	प्रस्तावित आराजी संख्या
40	41
41	48
42	45
43	44
44	42
45	40

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

iii. आराजी संख्या 43 को आराजी संख्या 55 के साथ तरमीम करना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपरोक्त आराजीयात की नवीन प्रस्तावित तरमीम नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शायी है।

5. उक्त प्रभावित आराजी संख्या 40, 41, 42, 44, 45 पर न्यायालय हाजा का प्रकरण संख्या 171/2019 से स्थगन नोट अंकित है। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अनुशंषा कर उक्त त्रुटि को सही करने के लिए न्यायालय को निवेदन किया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम अहीरपुरा, पटवार हल्का, बडोलीघाटा में स्थित अपनी खातेदारी आराजी संख्या 47 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान नक्शा तरमीम साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाने का निवेदन किया गया। किन्तु तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 47 का वर्तमान नवशा साबिक नक्शे के अनुसार ही तरमीम किया गया है। लेकिन प्रार्थीगण की वर्तमान आराजी नम्बर 56 रकबा 1.11 की तरमीम वर्तमान नक्शे में साबिक रिकार्ड के मुकाबले नहीं की जाकर इस आराजी के रकबे में आराजी नम्बर 48 [illegible] कर दिया गया है। जबकि साबिक रिकार्ड में आराजी नम्बर 47 [illegible] समानान्तर तरमीम थी। अतः तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में आराजी नम्बर 48 को विलोपित करते हुए इसे आराजी नम्बर 56 में शामिल करना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में वर्तमान नक्शे में आराजी नम्बर 40, 41, 42, 43, 44, 45 व 48 को त्रुटिपूर्ण अंकित होना बताया है एवं साथ ही इनकी शुद्धि किये जाने बाबत नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

है।हम यह मानते है कि प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 47 एवं प्रार्थी की आराजी 56 जिसमे प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू प्रबन्धन राजस्व रेकार्ड के नक्शे में पूर्व की स्थिति व भू प्रबन्धन के बाद की स्थिति में अन्तर है। लेकिन तहसीलदार निम्बाहेडा के अनुसार वर्तमान में मौके पर भू प्रबन्धन की पूर्व की स्थिति अनुसार बैठे हुए है। चुंकि भू प्रबन्धन के बाद नक्शा में तरमीम परिवर्तन होने के कारण वर्तमान के नक्शे व भू प्रबन्धन के नक्शे में बदलाव हो गया है। भू प्रबन्धन की धारा 136 एवं 131 के अनुसार राजस्व नक्शे में भू प्रबन्ध के द्वारा हुए बदलाव को ठीक करने का प्रावधान है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 में भू अभिलेख अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि सर्वे और रेकार्ड की कार्यवाही समाप्त हो जाने के पश्चात नक्शा फील्ड बुक रखे एवं राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्धन के पूर्व की स्थित एवं बाद की स्थिति में मौके अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो।

9. तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया की आराजी नम्बर 40, 41, 42, 44, 45 पर माननीय न्यायालय 171 / 2019 के स्थगन का नोट है। न्यायालय द्वारा प्रार्थी के मूल दावे 188 / 2019 राजीव आमेरिया पिता देवीलाल आमेरिया बनाम मोहनलाल पिता हिरालाल रेगर का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दर्ज कर मूल साबिक आराजी नम्बर 209 / 31 जिसके वर्तमान नम्बर 40,41,42,44,45 में खातेदारी घोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे वादी राजीव आमेरिया पिता देवीलाल आमेरिया एवं रमेश चन्द्र पिता श्यामलाल सालवी ने मोहनलाल पिता हीरालाल जाति रेगर वगैराह के विरूद्ध दावा खातेदारी घोषणा का पेश किया है जिसका उक्त प्रार्थना पत्र के नक्शे तरमीम शुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है उक्त दावे के साथ में एक प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 171 / 2019 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया जिसमे न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण राजीव आमेरिया पिता देवीलाल आमेरिया, रमेशचन्द्र पिता श्यामलाल सालवी बनाम विपक्षीगण मोहनलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी छोटीसादडी, भैरूलाल पिता फत्ता मेघवाल निवासी जीवनपुरा, छगनलाल पिता फत्ता मेघवाल निवासी जीवनपुरा,श्यामलाल पिता हमेरा मेघवाल निवासी जीवनपुरा, नन्दा पिता बारू जटिया निवासी राजुखेडा, तहसीलदार निम्बाहेडा एवं उप पंजीयक निम्बाहेडा जिसमे वाके अहीरपुरा की साबिक आराजी नम्बर 209 / 31 रकबा 5 बीघा नवीन आराजी नम्बर 40,41,42,44,45 कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर में विपक्षी को इस आशय से पाबन्द किया की उक्त भूमि का बेचान नहीं करे एवं कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करे। और आगामी तारिख पेशी पर राजस्व रेकार्ड की यथास्थित बनाये रखे। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा द्वारा विपक्षी को भूमि का बेचान नहीं करने के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड की यथास्थित बनाये रखने के आदेश दिए गये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 131 [illegible] राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा [illegible] किया प्रार्थी का प्रकरण राजस्व रेकार्ड [illegible] दुरूस्ती [illegible] है जो भू प्रबन्ध से पूर्व एवं भू प्रबन्ध की बाद की स्थिति [illegible] हुए बदलाव को ठीक करना है जो तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मय [illegible]शा भेजा गया जिसमे भू प्रबन्ध के पूर्व के नक्शे एवं वर्तमान में मौके अनुसार मिलान किया गया जो सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा

10. अतः राजस्व रेकार्ड में नक्शा दुरूस्ती किया जाना माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 171/2019 की अवमानना नहीं है क्योकि प्रार्थी प्रकरण संख्या 171/2019 के पक्षकार राजीव आमेरिया पिता देवीलाल आमेरिया, रमेशचन्द्र पिता श्यामलाल सालवी के हितो को प्रभावित नहीं किया जा रहा है एवं साबिक राजस्व रेकार्ड और मौके अनुसार तरमीम/नक्शा दुरूस्त किया जाना है। इस प्रकरण में प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि की तरमीम/नक्शा में भू प्रबन्धन के पूर्व एवं भू प्रबन्धन के बाद के नक्शे में अन्तर है। चुंकि भू प्रबन्धन के पूर्व के नक्शे अनुसार हि प्रार्थी वर्तमान में मौके पर कब्जे काश्त कर रहा है। मैं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा से पूर्णतः संतुष्ट हूं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अतः तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट एवं साबिक रिकार्ड से साबित होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट एवं साबिक रिकार्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है ग्राम अहीरपुरा, पटवार हल्का, बडोलीघाटा की आराजी नम्बर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48 एवं 56 के राजस्व नक्शे में तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा आदेश का अनन्य अंग रहेगा। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

5/10/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested